#### उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–4 संख्या–भू•/५४सेक–४ / पांच–2010–जी0–68 / 2005 लखनऊ : दिनांक **२**४ अक्टूबर, 2010

#### कार्यालय-ज्ञाप

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को अवकिमत करते हुए तत्काल प्रभाव से वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों को निम्नानुसार जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है:—

			कार्यालय	अपीलीय	कार्यालय
क्रम	अनुभाग का	जन सूचना अधिकारी का	1	अधिकारी	* दूरभाष
सं0	नाम	ļ	दूरभाष	का नाम व	9, ",
		नाम व पदनाम		पदनाम	
		2	4	5	6
1	2	3 श्री सुधीर सिंह	9454413184	श्री मुखतियार ,	9454411588
1	चिकि०अनु०–1	। श्रा सुधार ।सह । चौहान,		संयुक्त सचिव	2613966
		अनु सचिव	2623707		
2	चिकि०अन्०-2	श्री ओम प्रकाश,	9235638688	श्री राज	9454413207
		उप सचिव	2614293	किशोर यादव, विशेष सचिव	2621422
3	चिकि०अन्०-3	श्री विनोद कुमार	9454412460	श्री राज	9454413207
	3	सिंह, अनु सचिव	2626328	किशोर यादव, विशेष सचिव	2621422
4	चिकि०अनु०-4	श्री राम नारायण,	9454412041	श्री राज	9454413207
	3	अनु सचिव	2628373	किशोर यादव, विशेष सचिव	2621422
5	चिकि०अन्0-5	श्री सुधीर सिंह	9454413184	श्री मुखतियार ,	9454411588
	3	चौहान, अनु सचिव	2623707	संयुक्त सचिव	2613966
6	चिकि०अनु०-6	श्री जितेन्द्र राम	9454413185	श्री दीना नाथ	9454411804
	1 11 1 3 1 3	त्रिपाठी, अनु स्तिचव	2623707	गुप्ता, संयुक्त सचिव	2624174
7	चिकि०अनु०-7	श्री जितेन्द्र राम	9454413185	श्री राज	9454413207
		त्रिपाठी, अनु "सचिव	2623707	किशोर यादव, विशेष सचिव	2621422
8	चिकि०अनु०-9	श्री आर0एस0	9454413186	श्री मुखतियार ,	9454411588
	3	परिहार, अनु सचिव	2234766	संयुक्त सचिव	2613966

9 %	चिकि०अनु०—10	श्री आर0एस0 परिहार, अनु सचिव	9454413186 2234766	श्री मुखतियार , संयुक्त सचिव	9454411588 2613966
10	चिकि०अनु०-11	श्री विनोद कुमार सिंह, अनु सचिव	9454412460 2626328	श्री राज किशोर यादव, विशेष सचिव	9454413207 2621422
11	चिकि0 लेखा प्रकरेष्ठ	श्री राम नारायण, अनु सचिव	9454412041 2628373	श्री दीना नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव	9454411804 2624174

- 2— जन सूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समय—समय पर प्राप्त प्रार्थना—पत्रों का निस्तारण अधिनियम की धारा—6(तीन) एवं 8 (दो) के अनुसार किया जाय।
- 3— उपर्युक्त नामित अधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा कार्य विभाजन बदले जाने के फलस्वरूप तद्नुसार उनके प्रतिस्थानी जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी समझे जायेंगे।

#### प्रभात कुमार सारंगी, सचिव।

## संख्या-र्स-146 (1)सेक-4 / पांच-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 2— प्रशासनिक सुधार अनुभाग— २ को उनके पत्र संख्या— 1549/43—2—2010 दिनांक 29.09.2010 के क्रम में ।
- 3— संबंधित अधिकारीगण / समस्त अनुभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- 4- निजी सचिव, सचिव / प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 5— चिकित्सा कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त आदेश को बेबसाइट पर लोड कराकर सी.डी. अनुभाग को उपलब्ध करायें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से, ८।१९५ (राम नारायण), अनु सचिव।

1

#### उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–4 संख्या–3058सेक–4 / पांच–2010–जी0–38 / 2007 लखनऊ : दिनांक । 9 अक्टूबर, 2010

## कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय—ज्ञाप संख्या— 3456सेक—4/पॉच—2007, दिनांक 24.09.2007 तथा कार्यालय—ज्ञाप संख्या—1478सेक—4/पॉच—2010, दिनांक 17 मई, 2010को निरस्त करते हुए सचिवालय नियम संग्रह के नियम— 11 एवं प्रशासनिक सुधार अनुभाग—1 के कार्यालय—ज्ञाप संख्या— 164/तैंतालीस—1—99, दिनांक 17.05.1999 के प्राविधानानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव एवं सचिव तथा सचिव एवं विशेष सचिव द्वारा निम्नवत् कार्यों का निस्तारण किया जायेगा:—

- (1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण—
- 1. मा० मंत्रि परिषद / मा० मुख्यमंत्री जी / महामहिम राज्यपाल से संबंधित मामले।
- 2. भारत सरकार से संबंधित संदर्भों का निस्तारण।
- विधान मण्डल के तारांकित प्रश्नों का अनुमोदन।
- 4. विभागीय वार्षिक / पंच वर्षीय योजना / बजट का अनुमोदन।
- 5. जिला / सामुदायिक / प्राथमिक / उपकेन्द्र आदि चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति।
- 6. समूह—"क" एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के विरूद्ध सतर्कता जॉच/अनुशासनिक कार्यवाही आदि के मामले।
- 7. वित्तीय स्वीकृति संबंधी समस्त मामले।
- 8. चिकित्सा संचिव शाखा के अनुभाग अधिकारियों एवं उनसे ऊपर के अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य।
- 9. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों के मध्य कांर्य विभाजन।
- 10. सचिव को प्रतिनिधानित समस्त अधिकार।
- (2) सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण—
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समूह—"क" एवं "ख" के अधिकारियों की अवकृाश स्वीकृति से संबंधित मामले।
- 2. समूह—"ख" एवं "ग" के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक जॉच / कार्यवाही का अनुमोदन।
- 3. विभागाध्यक्ष / चिकित्सा सचिव शाखा के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की अपीलों का निस्तारण।

- 4. विभाग के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी किये जाने की स्वीकृति।
- 5. चिकित्सा अनुभाग—6 से संबंधित विभिन्न विभागों से प्राप्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मामले।
- 6. समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के सचिवालय प्रवेश-पत्र निर्गत किये जाने का अनुमोदन।
- 7. समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण हेतु नामांकन / अध्ययन कार्य की अनुमति का अनुमोदन।
- 8. विधान मण्डल के अतारांकित प्रश्नों / ग्राह्य नियमों की सूचना का उत्तर का अनुमोदन।
- 9. विधान मण्डल की विभिन्न समितियों (पी०ए०सी०, आश्वासन समिति, प्रांकलन समिति, एस०सी०एस०टी० / विमुक्त जातियों से संबंधित समिति आदि) को भेजे जाने वाली टिप्पणी / सूचना का अनुमोदन।
- 10. रूपये दो करोड़ की धनराशि तक के पुनर्विनियोग / पुनरीक्षण आगणन का अनुमोदन।
- 11. रूपये पाँच करोड़ तक की धनराशि के आगणन-मूल्यांकन की स्वीकृति।
- 12. चालू वित्तीय परियोजनाओं / योजनाओं हेतु एजेंसी को जारी किये जाने वाली धनराशि की स्वीकृति।
- 13. आवश्यकतानुसार विभागीय प्रगति समीक्षा।
- 14. प्रमुख सचिव महोदय की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों का निस्तारण।

### (3) विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण—

- विधान मण्डल सत्र के समय विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सूचनाओं का उत्तर।
- 2. विभिन्न रिट याचिकाओं में प्रतिवाद के आदेश निर्गत संबंधी कार्य।
- 3. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा सचिव शाखा के समूह—''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों से संबंधित समस्त अधिष्ठान कार्य।
- 4. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को जी०पी०एफ० अग्रिम / अन्य अग्रिमों की स्वीकृति से संबंधित समस्त कार्य।
- 5. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों का निस्तारण।
- 6. विभिन्न प्रश्नों / रिट याचिकाओं / वित्तीय मामलों / विभिन्न शिकायतों आदि के संबंध में सूचना मांगे जाने संबंधी कार्यों का निस्तारण।
- 7. समूह—''घ'' के कर्मचारियों के विरूद्ध पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों आदि का निस्तारण।
- प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा अपेक्षित अन्य कार्य।

राज किशोर यादव, विशेष सचिव।

## संख्या- ३०५४ (1) सेक-४ / पांच-2010-तद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख स्टाफ् आफिसर, कैबिनेट सचिव / मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिवं, मा० मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / परिवार कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 5— महानिदेशकं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 6— निदेकशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग।
- 8— प्रशासनिक सुधार अनुभाग—1 / सचिवालय प्रशासन अनुभाग— 1 (अधिष्ठान)
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से, ८१ भी (राम नारायण), अनु सचिव। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शाखा के अनुभाशों दारा निस्तारित किये जा रहे कारा कि विवरण।

चिकित्सा अनभाग-। = = = = = =

जिला मुख्यालय स्तर के समस्त चिकित्तालयों एवं एलोपै थिक 5 | 5 औषधाका से सम्बन्धित मामले, जिनमें नई चिकित्सा विधिष्ठटताओं को जोड़ने का कार्ग भी सम्मिलित है, गथा-चिकित्सालय भवनों का निर्माण, एम्ब्लेन्स सेवायं, शैएणा वृद्धि, जल सम्मूर्ति, उपकर्णों एवं साज-सज्जा की ठावस्था, भव गृहों का निर्माण रक्त की घों की स्थापना, रतिरोग रूजालयों की स्थापना, आवासीय एवं कार्यालय भवनों का निर्माण आदि सम्मिलित है। उगर्मुक्त के बजट प्राविधान शराजस्व र्नूजीगत गत षदः , की वित्तीय स्वीकृतियाँ ।

औषधीय क्य मीति का निधरिण (सी०एम०एस०डी०) 121

निटेगालम के विद्युत यान्त्रिक अनुरक्षण कोषठक के अधिषठान का कार्य। 838

निष्ण्योज्य सामग्री का सल्नान्यं कार्य। 848

जिला एवं मण्डल स्तरीए चिकित्सालयों के शुल्कों का निधारण। §5 §

चिकित्सालयों के लिए यानक का निर्धारण। \$68

अोरेक सहामतित, बस्ती चिकित्सालम का निर्माण । \$ 7 \$

जिला एवं सण्डल स्तरीम लिकित्सालमों के निरीक्षण रिमोर्टी पर \$83 का निही।

राष्ट्रीय स्ट्रुग निवारण सर्वं नियंत्रण कार्यकृत्र का वार्यान्त्यन । 191

जिला एवं राज्य स्तरीय चिकितमा एवं स्वास्थ्य हलाहकार § 108 सिवितारें का गठन ।

जिलास्टरीय चिकित्सालयों की जिकायतों वा निराकरण। 8 1 1 8

ारा क्षेत्रीय परिषद से सम्बन्धित कार्य । 1128

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम गरिकोजना का कार्य। 1138

मूजर वार्जेज। ... 8 148

उत्त कार्यों से सम्झिन्धत समन्वर कार्य।

उद्योग वधु पं स्वर्भाष्ट्र में कार्य।

विकित्सा अनुभाग-2

अधिष्ठान का समस्त कार्र, जिससे अग्रियों की स्वीकृति, शिकायतों का निस्तारण आदि भी समिमलित है।

121 स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से सम्बन्धित कार्य १ लिपिक वर्गीय करीचा रियों के मामले को छोड़कर १ ।

§ उ प्रवासनीय अधिकारों के प्रतिनिधायन ।

१41 वेतन आयोग तथा उसकी रिपॉट से सम्बन्धित तैयस्त तमन्त्रय कार्य

151 विभाग के समस्त अधिकारियों के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

§6 श विभागीय अधिका रिलों का मृजिध्ण ।

§7 ¥ मेडिको लीपल सम्बन्धी 🗴 कार्य ।

181 सतर्कता जॉच सम्बन्धी समन्दर कार्र ।

19 है स्वास्थ्य सेवा यहा निदेशालय से सम्बन्धित पदों का सूजन/ निरन्तरता/स्थायीकरण सम्बन्धी कार्य ।

11913क्त कार्यों से सम्बन्धित समन्दर्य कार्य ।

\_\_3/=

# तिकित्सा अनुभाग-3

- शाल मी त्रिण्या प्रस्त हैं । अधिष्ठ म्ह का सहस्त कार्ग, जिसमें जिलारतें आदि सिम्मालित हैं।
- 121 दन्त शलकों हो सम्वन्धित समस्त कार्ण।
- 131 हज कसेटी से सम्लिन्धत सगरत कार्र ।
- 141 रिंट गाविकाओं /स्यांग सम्बन्धी स्थान्वण कार्री।
- 151 लीगलं तेल का गठन एवं इससे सम्वन्धित समस्त कार्र।
- 161 उत्तरांचल खाजा सेल्सम्बन्धित समस्त कार्र ।
- 17.1 उक्त कार्यों से सम्वन्धित समस्त समन्वण कार्य ।

- ।। राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन से सम्बन्धित कार्य।
- 121 स्वास्था तेवा महानिदेशां लगं, क्षेत्रीय आर निदेशक, मुख्य चिकित्सं। अधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिपिक वर्ष/कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य।
- 131 चतुर्थ भ्रेषी कर्मचारिलों से सम्बन्धित कार्य।
- १५१ मोटर, कार, स्कूटर, गृह निर्माण अग्रिम से सम्वन्धित कारी।
- 15! नागरिक तुरक्षा /आन्तरिक सुरक्षा /सचिवालय सुरक्षा का कार्य।
- 161 विधान सभा प्रकार से सम्बन्धित समन्वय कार्ण ।
- 171 विधान परिषद पृथनों से सम्बन्धित समन्वण कार्ण।
- १८१ लोक सभा तथ्ह हाज्य सभा प्रमों से सम्बन्धित संयन्त्र कार्य ।
- 191 विधान सभा/विधान परिषद में विभिन्न निण्णों के तहत गाउ सदरणों दारा हदी गणी सूचनाओं का समन्दण कार्ण।
- ।।।। वित्तीर एवं प्रात्सकीय विलम्बं समिति से सम्वन्थित समन्वर कार्य।
- हो। हिन्स हिन्स राज्याल द्वाला की करी घोषणाओं ते सम्बन्धित समन्वर कारी।
- शाउश गा० संतद सदरूपों/विधान सभा/विधान परिषद सदरूपों थे प्राप्त संदर्भों का समन्दर कार्य।
- १४५१ लोर प्रमहरूपत ने सम्बर्धना नप्रस्ता न्यस्त्र
- 8148 कार्यिक एवं निरुपावली सेल से सम्बन्धित समन्तर कार्य ।
- १।५१ या० मुख्यं गंत्री जी द्वास्य याँगी ययी सूचनाओं से सम्दिन्धित संघन्त्रण ठार्यं ।
- । ६६ स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न
  विषयों प्रर चिकित्या भाषा के सम्बन्ध में माँगी गयी मूचनाओं
  का समन्वय कार्य।

W/

# चिकित्सा अनुभाग-4

1171	भूष न	<b>চন্</b>	संदर्भ	समिति	ते	सम्बन्धित	समन्तरं.	ग्राक	
------	-------	------------	--------	-------	----	-----------	----------	-------	--

- 1181 सद्भावना संभिति ते सम्बन्धित समन्वर कार्य ।
- 191 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन से सम्यन्धित समन्वय कार्य।
- 1201 केन्द्रीय संत्रीणणों से प्राप्त सन्दर्भों का समन्दर कार्य।
- 1211 साठ प्रधान यंत्री जी हारा की गरी घोषणाओं का समन्वर कार ।
- 1221 याचिका समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
  - 1231 स्वीस्थ्य विभाग में गठित समितियों ते सम्बन्धित समन्वर कार्य ।
  - 1241 अनुभागों में की गरी ही डिंग/रिका डिंग हे मम्बन्धित समन्वर कार्ग 1
  - 1254 उन्त कार्यों से सम्बन्धित समन्वर कार्य।

\_\_\_6/=

W/

- चिकित्सा एवं स्वास्था विभाग की गोजनाओं का समन्ता व 3 | 8 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का आयोजनायन/आयोजनेत्त 828 आग-ळाणक तथा बजट साहित्य के खण्ड-6 से प्रकाशनार्थ, साम का गंकलन एवं ग्रेषण । वित्त आरोग से सम्बन्धित याम्लों का समन्वर कार्र। \$3 ₹ इक्किलन समिति से सम्बन्धिय समन्त्रण कारी। £48 आषवासन समिति से सम्बन्धिः समन्वण कार्ने । 15 1 लोक लेखा समिति से सम्बन्धित सगन्या कार्ग। 868 विभागीय स्थानी समिति। लेखा 'निरीक्षण प्रतिवेदन तथा इष्ट्रंट प्रस्तरों ते सम्बन्धित समन 181
- विभागी कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक स्वास्थ्य समीक्षा । 198
- मा वित्त मंत्री /स्वारुध्य मंत्री जी का वजट भाषण। \$ 10 \$
- महासहिस राजणाल का अभिभाषण। 8 | | 3
- ग्राथमिक सामुदा विक स्वास्थ्य केन्द्रों में वित्तीण गवन एवं लूट-112 रो सम्वन्धित प्रकरणमें की जाँच ।
- नी ति-निधारण प्रकोषठ का कार्च। 1135
- आहरण एवं ब्र वितरण अधिकारियों को कोड आवंदन । 3 ] 4 8
- नियोजन दिभाज की मानिक बैठकों का समन्त्रण। ¥15 §
- विभाग के पूर्नविनि जिन सम्बन्धी समस्त कारी। 1161
- अनुपूरक अनुद्रमों से तस्वन्धित प्रस्तांच चित्त विभाग को प्रेषित § | 7 § किया जाना ।
- गंचवषीय योग्यस्तानी संदंधी समन्वय कोई।
- भारत सरकार के लिम्बित सन्दर्भ का समन्वण कार्य। 1191
- विभागीण ग्राथमिकताओं का निधरिंग। 1201
- उक्त कार्यों से तस्विन्धित तयस्त समन्वर कार्य ।

मिल्यामक राग दे सम्बाह्त काप

चिकित्सा अनुभाग-6

- भारत कार्य, जिसमें उनकी स्थापना अच्चीकरण, अतिरिक्त सुविधाओं तथा विभिन्न विशिष्टताओं की क्षांवस्था सम्मिलत है।
- 12] चिकित्सा परिचर्णा नियमावली ते सम्बन्धित समस्त कार्ण ।
- 13 विकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्वन्धित कार्य ।
- 14! स्टेट मेडिकिंस फैकल्टी /को सिल/मेडिकिस ऐक्ट, 30 JO I
- 151 प्रजी डाक्टरों से सम्बन्धित कार्णन
- 161 जिला अस्पत्मलों को छोड़कर अन्य अस्क्ल्म्सों के सम्बन्ध में भिक्त
- ७७ ग्रामीण अस्पतालों, ग्राथिक स्वांस्थ्य केन्द्र ता ुद्या िक स्वास्थ्य केन्द्र के द्रिष्ट ख़्रे किया. कलाच उससे सम्वन्धित विलों ∕गो डिठ्यों विस्तारण ।
- 181 विभागीय भवनों के निमणि कार्रों से सम्वन्धित समन्वण कार्य ।
- 191 चिकित्सक्यों के दान सम्बन्धी सभी गामले श्येडिकल कालेजों से संबंधित मामलों को छोड़कर।
- 1101 तितिल सेवा के इंजी नियरों ते सम्बन्धित तपस्त कार्य ।
- ।।। प्रारेणकृतना सहारक श्रास्यः ते सम्बन्धित कार्रः।
- 121 साठ मुख्य मंत्री /स्वास्थ्य मंत्री जी की धोषणाओं का सपन्वय का
- । । उ. र. उक्त काणीं से सम्बन्धित समस्त तमन्त्रण कार्ण ।

X)/

# चिकित्सा अनुभाग-7

- भागितिहर, लैव टेक्नी शिण्न, नेत्र सहाएक, एक्सरे टेक्नी शिण्न, डार्क रूप तहाएक, डेंट्लरहाई जिनिस्ट, फिजिलो थिरे पिस्ट, आकु शिनल फिल्नो थिरे पिस्ट, ईं0सी ०सी ० टेक्नी शिण्न, ईं0ईं०जी टेक्नी शिण्न, नाने में डिक्ल असिस्टेंट, नान में डिक्ल सुपरवाइजर, हेल्थ ऐजुकेटर, संगणक अन्वेषक का संग्रक बी०सी०जी० टेक्नी शिल्न, वी०सी०जी० टीमली टी०वी० स्वास्थ्य परिदर्शक के अधिष्ठान विषणक कार्य।
- 121 सपरत पैराधेडिकल का धिंकों के प्रशिक्षण जो स्टेट घेडिकल फैकल्टी दिए जाते हैं, से सम्बन्धित सपस्त कार्री।
- 131 कार्येसी कार्रिसल से सम्वन्धित समस्त कार्य, प्रशिक्षण का कोर्स वि भेत्रों में चलाये जाने हेतू संस्थाओं को मान्यता दिया जाना।
- 141 जिला क्षण रोग केन्द्रों, मानसिक चिकित्सालग, कुष्ठ इकाइयों की स्थापना, नेत्र वार्ड/भोठिटी० वार्ड की स्थापना ।
- 151 राष्ट्रीण अन्थता निवारण कार्यंक्रम, राष्ट्रीण कुष्ठ निवारण कार्यं राष्ट्रीण क्षण नियंत्रकं कार्यंक्रम, राष्ट्रीण कैंसर नियंत्रण कार्यंक्रम एवं यानसिकं स्वास्थ्य कार्यंक्रम् से सम्वन्थित कार्यं ।
- रिश स्वैचिक संस्थाओं १एलोपैथिक। को अनुदान, दुईल आए के ठाति के गाभीर रोगों के उपचार हेतु अनावर्तक अनुदान, माठ स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान।
  - 178 जन्म मृत् पंजी न ने सम्बन्धित कार्र, दीन सूत्रीय कार्रक्ष के सम
  - 18) उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त समन्वर कार्यं ।

M

\_\_\_9/=

- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा हमहिला संवर्गह 8 | 8 चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान का समस्त कार्य जि लोक हेवा आयोग को चयन हेत् अधियाचन भेजा जाना नियुक्ति, स्थाणीकरण, प्रोन्नति तथा सैहिला चिकित्सा धिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतीं का निस्तारण स स्मिलित है।
- नर्सिंग संवर्ग से सम्बन्धित समस्त कार्री, नर्सिंग प्रशिक्षण के § 2 § को मान्यता । नर्सिंग संवर्ग से संबंधित विधान सभा प्र विधान परिषद गृशन/आशवासन आदि ।
- यला यो लियो उ किस्सण कार्यक्रम से संबंधित कार्य जिसमें 838 कार्वकः निर्माण एवं अनुभवण पर्ववेक्षण आहि सस्मिलित
- मानवाधिकार का समन्वय कार्य।
- उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त समन्वय कार्य। **858**